राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट जयपुर, दिनांकः 12 मार्च, 2018

आदेश

भरतपुर जिले की कुरका ग्राम पंचायत के सरपंच का उप निर्वाचन माह मार्च, 2018 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22क के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ग के प्रावधान इस उपचुनाव में भी लागू होंगे।

अतः पंचायत राज संस्थाओं के संलग्न कार्यक्रम के अनुसार संबंधित चुनाव क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त ग्राम पंचायत में तथा इनसे लगते हुए 5. कि.मी. परिधीय क्षेत्र में **दिनांक 16.03.2018 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 18.03.2018 को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस** घोषित किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(औंकार मल राजोतिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ.7(2)(8)पंचा/रानिआ/2017/1021 दिनांक 07.03.2018 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग।
8. जिला कलेक्टर भरतपुर
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, भरतपुर
10. जिला आबकारी अधिकारी, भरतपुर
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Rajesh Issrani, 2016/Dry Day

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(2)(8)/पंचा/रानिआ/2017/ 1021 दिनांकः 7/3/18

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
वित्त (आबकारी) विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

वित्त (आबकारी) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी क्रमांक 1613
दिनांक 12 MAR 2018

विषयः– ग्राम पंचायत कुरका के सरपंच के उप चुनाव हेतु सूखा दिवस घोषित करने के संबंध में।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत कुरका जिला भरतपुर के सरपंच के पद पर उपचुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदान दिनांक 18.03.2018 को होगा।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22क के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ग के प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी लागू होते हैं। अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि ग्राम पंचायत कुरका जिला भरतपुर के उपचुनाव हेतु मतदान की समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घन्टों की कालावधि में शराब का विक्रय किया जाना, वितरण किया जाना व दिया जाना निषिद्ध करते हुए सूखा दिवस घोषित किया जावे।

उक्त पद हेतु चुनाव की मतगणना मतदान दिवस को ही मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पंचायत मुख्यालय पर ही होगी, जो देर रात्रि तक जारी रह सकती है। अतः ग्राम पंचायत कुरका जिला भरतपुर के निर्वाचन क्षेत्र एवं इनसे लगते हुए 5 कि.मी. परिधि क्षेत्र में दिनांक 16.03.2018 को सॉय 5 बजे से दिनांक 18.03.2018 को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया जाना है।

अतः उक्तानुसार आदेश प्रसारित करने का श्रम करें।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर मूथा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव 7/3/18

क्रमांकःएफ. 7(2)(8)/पंचा/रानिआ/2017/ 1022 दिनांकः 7/3/18

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर) भरतपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

7/3/2018
(अशोक कुमार जैन)
उपसचिव

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर
2659
8/3/18

संख्या 1209
08 MAR 2018

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान